



टी बोर्ड

14, बिप्लवी त्रैलोक्य महाराज सरणी,
कोलकाता-700001

दिनांक 30.06.2026

कार्यालय ज्ञापन सं.72/2026

गत कार्यालय ज्ञापन सं. 24/2023 दिनांक 09.03.2023 के क्रम में, अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि 'कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013' की धारा 4 के तहत, बोर्ड के सक्षम अधिकारी ने टी बोर्ड में कार्य करने वाली किसी भी महिला के यौन उत्पीड़न की शिकायत के समाधान के लिए एक 'आंतरिक शिकायत समिति' के गठन हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को नामित किया है:

क्र.सं.	नाम, पद और वर्तमान तैनाती का स्थान	समिति में स्थान
1.	डॉ. अमृता चक्रवर्ती, उ नि चा वि(पी) एवं सचिव(प्रभारी), टी बोर्ड, कोलकाता	पीठासीन अधिकारी
2.	श्री सचिन व्यंकटराव सोमवंशी, फैक्ट्री सलाहकार अधिकारी, टी बोर्ड, कोलकाता	सदस्य
3.	श्रीमती श्रीला बंदोपाध्याय, विकास अधिकारी, टी बोर्ड, कोलकाता	सदस्य

पीठासीन अधिकारी, आरोप की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, सदस्य के तौर पर किसी ऐसे व्यक्ति को शामिल करेंगे जो सामाजिक कार्य से जुड़ा हो या स्थानीय समिति का सदस्य हो और जिसे यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों की जानकारी हो।

समिति, 'कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के नियम-7 में बताए गए तरीके से, टी बोर्ड की किसी भी महिला कर्मचारी/अधिकारी द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के सभी आरोपों की जांच करेगी।

समिति का कार्यकाल अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष की होगी।

समिति किसी भी शिकायत के मिलने की तिथि से सात दिनों के भीतर जांच की लिखित रिपोर्ट सौंपेगी।

प्रह्लाद
(पी. सी. बोरो)
सहायक सचिव

वितरण:

1.	ऊपर सूचीबद्ध सभी समिति सदस्य	
2.	कार्यकारी निदेशक, कून्नूर, गुवाहाटी	
3.	बोर्ड के मुख्यालय, कोलकाता के सभी विभागाध्यक्ष (उपाध्यक्ष को छोड़कर)	
4.	प्रचार अधिकारी, उ नि चा वि (बी पी) एवं ए एस बो (टी सी)	
5.	उपाध्यक्ष, वि स एवं मु ले अ एवं सचिव के निजी सहायक	
6.	आईटी कक्ष	बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित
7.	टीबीईए	
8.	स्थापना शाखा	अतिरिक्त प्रतियां सहित

संदर्भ. सं.23/स्था 2023